

फा. सं. 15(31)2020 /फॉसकॉस/वि.अनु./एफएसएसएआई
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त प्राधिकरण)
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तृतीय तल, एफडीए भवन , कोटला रोड,
नई दिल्ली- 110002
खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉसकॉस) - <https://foscos.fssai.gov.in>

दिनांक - 29 अक्टूबर ,2021

आदेश

विषय – एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण की समाप्ति तिथि पार हो जाने पर उसके नवीकरण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में

एफएसएस (खाद्य कारोबारों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम , 2011 की धारा 2.1.7 के अनुसार खाद्य कारोबारी लाइसेंस पर दिए गए समाप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं । समाप्ति तिथि के 30 दिन पहले लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन न किए जाने की स्थिति में नवीकरण शुल्क के साथ प्रतिदिन 100 रू के हिसाब से कारोबारी द्वारा विलम्ब शुल्क दिया जाना चाहिए । (यह विलम्ब शुल्क पंजीकरण की स्थिति में प्रयोज्य नहीं है) खाद्य कारोबारी के लिए नवीकरण आवेदन का विंडो समाप्ति तिथि के 180 दिन पहले ही खोल दिया जाएगा । अभी तक एफएसएसएआई लाइसेंस/पंजीकरण एक बार समाप्त होने पर उसके नवीकरण फाइल करने का कोई प्रावधान नहीं था । ऐसे खाद्य कारोबारियों को कारोबार पुनः शुरू करने की स्थिति में नए लाइसेंस / पंजीकरण के लिए आवेदन करने की जरूरत है ।

2. देश में फैले हुए कोरोना महामारी के कारण ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ नियत समय में खाद्य कारोबारी अपना लाइसेंस / पंजीकरण का नवीकरण करने में असफल रहे हैं । अपना खाद्य कारोबार जारी रखने हेतु उन्हें नये लाइसेंस / पंजीकरण की आवश्यकता पड़ी । इसका फल यह हुआ की लाइसेंस / पंजीकरण की प्रक्रिया से लेकर नए लाइसेंस / पंजीकरण संख्या को सभी खाद्य कारोबारों तक पहुंचाना भी दुबारा करना पड़ा । इसके अलावा पहले से पैक किए पैकेजिंग पदार्थों का भी नुकसान हुआ । अतः समाप्ति तिथि पार हो जाने के बाद भी उस लाइसेंस संख्या द्वारा कारोबार जारी रखने के लिए खाद्य प्राधिकरण के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि समाप्ति तिथि पार हो जाने पर खाद्य कारोबारी अपने एफएसएसएआई लाइसेंस / पंजीकरण का नवीकरण निम्नलिखित **दंडों** के साथ कर सकते हैं –

- (क) वास्तविक समाप्ति तिथि से लेकर 1-90 दिन की अवधि में **मौजूदा वार्षिक लाइसेंस पंजीकरण शुल्क का तीन गुना** ।
- (ख) वास्तविक समाप्ति तिथि से लेकर 91-180 दिन की अवधि में **मौजूदा वार्षिक लाइसेंस पंजीकरण शुल्क का अतिरिक्त दो गुना (कुल 5 गुणा)** ।

4. समाप्ति तिथि के पश्चात लाइसेंस धारक खाद्य उदपादक या आयातक द्वारा आवेदन फॉसकॉस के माध्यम से वार्षिक बकाया रिटर्न ऑनलाइन जमा करा सकते हैं ।

5. वास्तविक समाप्ति तिथि के 180 वें दिन के बाद किसी प्रकार के नवीकरण की अनुमति नहीं होगी ।

6. वास्तविक समाप्ति तिथि से लेकर नए लाइसेंस जारी होने की अवधि तक खाद्य कारोबारियों को किसी भी खाद्य कारोबार के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी अवधि में संचालित कोई भी कारोबार एफएसएस अधिनियम, 2006 के खंड 63 के अनुसार दंड का पात्र होगा।

7. नया लाइसेंस / पंजीकरण प्राप्त होने पर नए वैध तारीख जारी किए जाएंगे।

8. यह नीति खाद्य प्राधिकरण की सूचना के एफएसएस (खाद्य कारोबारों का लाइसेंस और पंजीकरण) संशोधन, 2021 के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध रहेगा।

9. यह नीति तात्कालिक प्रभाव से शुरू की जाएगी अर्थात् वे खाद्य कारोबारी जिनका लाइसेंस / पंजीकरण इस आदेश के जारी होने की तारीख के 180 दिनों के भीतर समाप्त हुआ हो, वे इस नीति का लाभ उठा सकते हैं तथा खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉसकॉस) के माध्यम से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

10. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(इन्डोशी शर्मा)

कार्यकारी निदेशक

E-mail ed-office@fssai.gov.in

सेवा में-

1. सभी खाद्य कारोबारी, उद्योग संघ, खाद्य सुरक्षा मित्र
2. सभी राज्य / संघ राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त
3. निदेशक, एफएसएसएआई के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
4. सी.आई.टी.ओ - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव से अध्यक्ष, एफएसएसएआई
2. निजी सचिव से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई
3. मुख्य (वि. आ. प्र.)

Dated, the 27th October, 2021

ORDER

Subject: Implementation of policy to enable renewing the FSSAI License/Registration after the expiry date –reg

Clause 2.1.7 of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 states that FBOs shall apply for renewal of license as early as 30 days prior to the expiry date mentioned in the license. In case, renewal of license is not filed till 30 days prior to the expiry date, a late fee of Rs. 100 per day to be paid by FBO along with the renewal fee. [This late fee is not applicable in case of Registration]. The window for filing renewal application opens for Food Businesses as early as 180 days prior to expiry date. Till now, once the license/registration expired, there was no provision for filing the renewal of FSSAI License or Registration. Such FBOs are required to apply for fresh License/Registration, in case they want to restart the business.

2. Due to prevailing CoVID pandemic in the country, the instances have increased where FBOs have been failed to renew their License/Registration in the provided time. They were required to obtain fresh License/Registration to continue their food business. This resulted in redoing the complete procedure for obtaining license/registration, circulating the new license/registration number across all trading food businesses, loss of pre-packaged printing material etc. To facilitate the food businesses to continue with same license number even after expiry date, it has been decided with the approval of Food Authority to enable Food Business Operator to renew the FSSAI License/Registration even after expiry date with following **penalties**:

a. **Three times of the existing annual license/registration fee** in the period - 1st day to 90th day from the original expiry date.

b. **Additional two times of the existing annual license/registration fee** (i.e. total 5 times) in the period - 91st day to 180th day from the original expiry date.

4. This provision of filing renewal application after the expiry date shall be subjected to online submission of due Annual Returns through FoSCoS by the licensed food manufacturer or importer.

5. No renewal shall be allowed after 180th day from the original expiry date.

6. FBOs shall not be allowed to conduct any food business in the period from original expiry date till the issuance of renewed license. Any food business conducted in such period will be subject to the penalties and punishment as per Section 63 of FSS Act, 2006.

7. Fresh validity date will be generated on the grant of renewed License/Registration.

8. The policy shall be valid till the date of implementation/ operationalization of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2021, as notified by the Food Authority.

9. This policy shall commence with immediate effect, i.e. FBOs whose license/registration has expired within last 180 days from the date of issuance of this order, can avail the policy and apply for renewal of License/Registration through Food Safety Compliance System, FoSCoS [<https://foscos.fssai.gov.in>].

10. This issues with the approval of Competent Authority.


(Inoshi Sharma)

Executive Director (CS)

Email: ed-office@fssai.gov.in

To –

1. All Food Business Operators, Industry Associations, Food Safety Mitra
2. Commissioners of Food Safety of all States/UTs
3. Directors, all Regional Offices of FSSAI
4. CITO – for uploading on the website

Copy for information to -

1. PS to Chairperson, FSSAI
2. PS to CEO, FSSAI
3. Head (RCD)